

प्रेषक,

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : 05/09/2022

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-136/रा0 आ0 प्र0 प्रा0/202122 दिनांक 06 जुलाई, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के भवन का निर्माण कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का व्यय वित्त समिति द्वारा लागत रु0 6640.03 लाख अनुमोदित की गयी है। जिसमें प्रायोजना अन्तर्गत सिविल कार्यो के अतिरिक्त प्रस्तावित अनावासीय भवन में केन्द्रीय वातानुकूलन (एच0 वी0 ए0 सी0 सिस्टम), स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग कार्यमद उच्च विशिष्टियों की श्रेणी में सम्मिलित है। इस हेतु प्रेषित की गयी डी0 पी0 आर0 का गठन लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनावासीय भवनों की उच्च श्रेणी की विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुए किया गया है। उपरोक्त भवन निर्माण सेक्टर-7 गोमती नगर, लखनऊ में आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या- 7/20 की पर0 0123.39 वर्ग मीटर पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि पर भवन निर्माण का विस्तृत आगणन/डी0 पी0 आर0 परामर्शों मैसर्स स्काई लाइन आर्किटेक्चरल कन्सल्टेंट द्वारा गठित किया गया है। प्रायोजना का क्रियान्वयन ई0 पी0 सी0 मोड/वीडिंग द्वारा कराया जाना है।

3- व्यय वित्त समिति द्वारा उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ के भवन निर्माण में कराये जाने वाले निम्नवत् कार्य अनुमोदित किये गये हैं:-

S.No.	Item of Work	As per Estimate (Amount in Rs. Lakhs)	Accepted As Per EFC (Amount in Rs. Lakhs)
A	Cost of Building		
i	Civil Work	4395.82	4115.86
ii	Plumbing Internal	109.57	105.34
	Plumbing External	111.10	103.95

iii	Fire Fighting	116.10	115.22
	Total (A)	4732.59	4440.37
B	External Development Work Civil		
i	Road Work	66.82	65.19
ii	Horticulture and Landscaping	80.10	72.71
iii	Gate (2 NOS)	23.54	23.54
iv	Guard Room (2 NOS)	10.77	10.77
v	Boundary Wall	48.61	44.14
vi	Water Body	7.56	7.56
	Total (B)	237.41	223.92
C	Internal and External Electrical		
i	Internal Electrical Work (State Disaster Management Authority Building)	332.01	324.67
ii	Internal Electrical Work (Service Building)	5.09	5.06
iii	Fire Alarm	57.73	57.67
iv	UPS System	20.00	17.35
v	Lifts	136.50	122.85
vi	Substation (HT Panel, LT Panel, Cabeling)	177.20	166.44
vii	Transformer	60.00	54.00
viii	External Street Lighting	12.83	12.67
ix	D.G. Sets	80.00	76.40
x	Solar PV Cell	48.85	42.83
xi	Illuminated Exit Signages	2.12	1.91
	Total (C)	933.22	881.85
D	ELV Systems		
i	IP CCTV System	26.08	0.00
ii	IT Data Networking and Voice System (Passive Component)	176.29	0.00
iii	Audio Visual System	142.31	0.00
iv	Boom Barrier	2.70	2.17
	Total (D)	347.38	2.17
E	HVAC System		
i	Air Conditioning and Allied Electrical Services (Central Chilled Water System 500 TR)	316.75	293.50
ii	Mechanical Ventilation and Allied Electrical Services	33.90	31.72
	Total (E)	350.64	325.21

F	Total (A+B+C+D+E)	6601.23	5873.53
	Less 5 %	0.00	-293.68
G	Total	6601.23	5579.85
H	Add for Contingency @ 1%	66.01	55.80
I	Add for Supervision Charges @ 2% on (G)	132.02	111.60
J	Add for Agency Charges @ 2% on (G)	198.04	167.40
K	Add for Labour Cess @ 1% on (G)	66.01	55.80
L	Add for GST @ 12 % on (G)	792.15	669.58
	Total Cost of Project	7955.47	6640.03

4- 50 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के भवन का निर्माण कराये जाने हेतु उपरोक्त तानुसार प्रायोजना की कुल लागत रू 6640.03 लाख (रू छहछठ करोड़ चालीस लाख तीन हजार मात्र) के अन्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों अनावासीय भवन में केन्द्रीय वातानुकूलन (एच 0 वी 0 ए 0 सी 0 सिस्टम) पर धनराशि रू 325.21 लाख एवं स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग पर लगभग धनराशि रू 69.50 लाख (जो सिविल वर्क में सम्मिलित है) के अन्तर्गत कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत अर्थात् रू 1660.00 लाख (रू सोलह करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सार्ध स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

- (1) प्रायोजना की लागत रू 6640 करोड़ से अधिक है अतः वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/वी-2/615/दिस-2019 दिनांक 13-12-2019 प्रायोजना का क्रियान्वयन ई 0 पी 0 सी 0 मोड/विडिंग द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रक्षरगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई 0 पी 0 सी 0 की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्राय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनावासीय भवनों की उच्च श्रेणी की विशेषिया का सम्मिलित करते हुए किया गया है।
- (3) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-41/2016/363/आठ-1-15-17 विविध/03 टी 0 सी 0 दिनांक 01.02.2016 एवं तत्सम्बन्धी आदेशों के रूप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था एवं इत्यादि सुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) क्रियान्वयन से पूर्व कारगरूपी पर्याप्त परा दन कार्य हेतु प्रतिस्पर्धीत्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुमंगल वितीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
- (5) प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।
- (6) प्रायोजना का निर्माण किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजना की वास्तविक ड्राइंग एवं डिजाइन के आधार पर प्रायोजना का विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया

है तथा उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है इसके पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(7) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव/आगमन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। आर 0.आ 0.टी 0 की जम्माई/कौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(10) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व सर्वाधिकार का दी जायेगी।

(11) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय दस्त पुस्तिका मण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप स0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(12) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तकीकृत कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(13) वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-जाप दि0- 07, जून, 2022 के प्रस्तर-2 (10) में निहित व्यवस्थानुसार कार्यकारी संस्था का आवश्यकतानुसार दो-दो माह की धनराशि निर्गत की जायेगी।

(14) प्रायोजना का निर्माण यथा निर्धारित समयवाधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुनः कोई पुनरीक्षण अनुमत्त नहीं होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दिसावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी 30 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की होगी तथा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/क्रस्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी। जी 0 एस 0 टी 0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व 30 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,60,00,000 (रुपये सोलह करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-00-101-07-00 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण मामक मद- 24 वृत्त निर्माण कार्य के नामे उाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा ई-ऑफिस पर FINRMS से उत्पन्न संख्या E-5-60-X-2022-23-दिनांक: 31-8-2022 में दी गयी उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग
(सुधीर गर्ग)
Date: 03-09-2022 15:08:54
प्रमुख सचिव Approved

संख्या- A001-UO-20-One-आर-10-2022-23-G-2013 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव राजस्व एवं सहाय आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सण्डलायुक्त लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (द्वितीय आवंटन), उ० प्र० शासन।
7. क्लर्क वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राजस्व आयुक्त लखनऊ, उ० प्र०।
8. सञ्चालित तदर्थ के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ० प्र०।
9. वित्त नियंत्रक उ० प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता, विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11. निजी सहायक स० उ० उपाध्यक्ष उ० प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता, भवन लोक निर्माण विभाग लखनऊ/सञ्चालित अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
14. गार्ड फाइल।
15. राजस्व अनुभाग-11।
16. गार्ड फाइल।

साथ में

(राम रामवल)
विशेष सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-12/09/2022


प्रेषण संख्या:- 2013
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2013
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
07 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	166000000 166000000	166000000 166000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	166000000 166000000	166000000 166000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ साठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ साठ लाख


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।